न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 34 / अपील / 2025 (GCMS No. 2025 / 75)	23.06.2025	27.10.2025

1. अंजनीकुमार आ. नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
2. सतीशकुमार आ. नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
3. अनिता पत्नी पवन कुमार जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
4. गायत्री पुत्री नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
5. घीसी देवी पत्नी नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
6. चन्द्रकला पुत्री नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
7. नन्दकंवर पुत्री नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
8. मन्जू पुत्री नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
9. वैष्णवी पुत्री पवन कुमार जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
10. विक्की पुत्र पवन कुमार जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी
11. शीला देवी पत्नी नन्दलाल जाति ब्राहमण नि.राताबरडा, जावटीकलां तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

-- रेस्पोडेन्टस

जिला कलेक्टर; बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्टस की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा मिसल संख्या 1/2025 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2025 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन आदेश से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम कुण्डालिया में श्मशान ख0नं0 89 पर आने–जाने हेतु ख0नं0 1369/87 एवं 1418/87 में से पूर्ववर्ती मार्ग को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 34/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/75 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (राज.) सत्यमेव जयते

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पोडेंट की ओर से नोटिस अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 06.06.2025 को जारी किया जाकर जवाब हेतु नियत दिनांक 09.06.2025 अपीलांटस को प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस में कुछ भी विवरण दर्ज नहीं था तथा नोटिस के साथ किसी प्रार्थना पत्र या परिवाद की प्रति भी संलग्न नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपना बचाव करने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलांटस द्वारा तहसील कार्यालय बून्दी में पूछताछ करने पर फर्द मौका दिनांक 04.06.2025 की फोटोप्रति प्राप्त हुई, जिसके आधार पर दिनांक 09.06.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बून्दी ने केवल मात्र पटवारी रिपार्ट/मौका पर्चा के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया है, जबकि पटवारी रिपोर्ट निर्णय हेतु प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, इसके बावजूद दिनांक 10.06.2025 को उक्त आदेश पारित कर दिया गया। ग्राम कुण्डालिया की आबादी से खसरा संख्या 89 में बने हुऐ शमशान तक पहुँचने के लिए रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1389/123 पर दक्षिणी–पूर्वी कोने से उत्तरी तरफ चलकर खसरा संख्या 83 राजकीय सिवाचक भूमि पर दक्षिण से उत्तर की ओर चलते

जिला कलेक्टर, बून्दी

हुए खसरा संख्या 81 की उत्तरी पश्चिमी तरफ रिक्त पडी हुई खाली भूमि पर होकर खसरा संख्या 89 पर पहुँचता है। यह रास्ता सदैव से उपयोग में लिया जा रहा है। खसरा संख्या 1389/123 एवं 83 की राजकीय सिवायचक भूमि पर बने हुये रास्ते पर ग्रामवासियान अतिक्रमण करके अपने खाते की भूमि में मिला लेना चाहते है। संबंधित पटवारी ने उक्त तथ्य पर अपनी फर्द मौका रिपोर्ट में विवरण दर्ज नहीं किया है और अतिक्रमियों से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह असत्य तथ्य अंकित किया है कि शमशान पर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 बनाते समय अपीलांटस को सूचित नहीं किया था। अपीलांटस के खाते की कृषि भूमि खसरा सं. 1379/87, 1414/87, 88 पर शिकायतकर्ता सहित अन्य ग्रामवासीयान ने अतिक्रमण कर लिया था, जिनको बेदखल किये जाने के लिए वाद सं. 296/2021 पुराना वाद 40/2016 बउनवान नन्दलाल बनाम छोटूलाल वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकरी, बून्दी में प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 25.01.2023 को वाद डिक्री किया गया है। डिक्री की पालना में दिनांक 09.04.2025 को कब्जा संभलाया गया, मौके अपीलांटस को उनके खातें की भूमि का नाप करके सीमाओं पर निशान लगाकर पत्थर के पिल्लर्स लगाकर तारबन्द करवायी गयी है, कब्जा संभलाते समय मौके पर किसी प्रकार का रास्ता कब्जा संभलायी गई भूमि पर होना फर्द कब्जा में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांटस को कब्जा सम्भलाने के समय भूमि खसरा सं. 1369/87 एवं 1418/87 की पूर्वी सीमा के सहारे सीमा के निशान लगाते समय लगभग 25 फीट चौडी पूर्व–पश्चिम एवं 528 फीट लंबी उत्तर–दक्षिण खाते की भूमि केसरा आ. रघुनाथ मीणा के खाते की भूमि के सहारे छोड दी है, जिस पर अभी तक स्वर्गीय केसरा का पुत्र प्रभू मीणा बतौर अतिक्रमी काबिज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस के खाते की भूमि पर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया है तथा खाते की भूमि खसरा सं. 1369/87 एवं 1418/87 के दो टुकडे कर दिये है। जिस स्थान पर रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया है, इस रास्ते के पूर्वी तरफ 25 फीट चौडी एवं लगभग 528 फीट लंबी अपीलांटस के खाते की भूमि छोड दी है, जिसको केसरा आ. रघुनाथ मीणा ने अपने खाते की भूमि में मिलाकर अतिक्रमण कर लिया है, जबकि इस भूमि पर अपीलांटस को कब्जा दिलवाये जाने की डिक्री पारित की जा चुकी है। वास्तव में मौके पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से फर्द मौका दिनांक 04.06.2025 तैयार किया गया है। ग्रामवासीयान राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं. 1389/123 एवं 83 व 81 की भूमि पर होकर शमशान में जाने के लिए रास्ता कायम नहीं रखना चाहते है तथा भूमि को अतिक्रमण करके खेती कर रहे है। ग्रामवासीयान ने राजकीय सिवायचक पर अतिक्रमण करके रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा अपीलांटस के खाते की भूमि पर अतिक्रमण बनाये रखना चाहते है। इस कार्य में न्यायालय की डिक्री

जिला कलेक्टर बून्दी

के बावजूद तहसील कार्यालय का प्रशासन अपीलांटस को उनके खाते की भूमि पर सम्पूर्ण कब्जा नहीं दिला रहा है बल्कि अतिक्रमियों की मदद कर रहा है, जिसके बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में लंबित इजराय में अपीलांटस ने आपत्ति प्रस्तुत की है। विकल्प में यदि अपीलांटस के खाते की भूमि पर शमशान जाने का रास्ता दिलवाया जाना प्रशासन द्वारा उचित माना जावे तो भूमि खसरा सं. 1369/87 एवं 1418/87 की पूर्वी सीमा पर प्रभू आ. केसरा के अतिक्रमण की भूमि मुक्त करवायी जाकर उस भूमि पर रास्ता कायम किये जाने के लिये अपीलांटस सहमत है। न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक बून्दी द्वारा मिसल सं. 296/दावा/2021 में बउनवान नन्दलाल बनाम छोटूलाल वगै. में पारित डिक्री दिनांक 25.01.2023 की पालना में दिनांक 09.04.2025 को मौके पर अपीलांटस को उनके खाते की भूमि पर अतिक्रमियों को बेदखल करके कब्जा दिलवाया गया था तथा मौके पर प्रशासन की देखरेख में तारबंदी करवायी गयी थी, जिसमें भूमि खसरा सं. 1369/87 एवं 1418/87 भी शामिल है। फर्द कब्जा में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर होना दर्ज नहीं किया गया है। पटवारी हल्का ने फर्द कब्जा के 02 माह बाद दिनांक 04.06.2025 को अपीलांटस के खाते की भूमि पर पुराना रास्ता होना असत्य रूप से अंकित किया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1980 आरआरडी पेज 610 एवं 1975 आरआरडी पेज 401 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि समस्त ग्रामवासियान ग्राम कुण्डालिया द्वारा शमशान घाट का 70 साल पुराना रास्ता बहाल किये जाने हेतु आवेदन पर तहसीलदार बून्दी को प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका जांच करवाई जाकर मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की सुनवाई की जाकर दिनांक 10.06.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित कर ग्राम कुण्डालिया में श्मशान ख0नं0 89 पर आने–जाने के उपयोग हेतु ख0नं0 1369/87 एवं 1418/87 में से पूर्ववर्ती मार्ग को बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक उपयोग में लिये जा रहे शमशान के पुराने आम रास्ते को अपीलांटस द्वारा अवरूद्ध कर दिये जाने से हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई की जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये रास्ता बहाल किये जाने बाबत विधिसम्मत आदेश प्रदान किया गया है अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि ग्रामवासियान ग्राम कुण्डालिया द्वारा तहसीलदार बून्दी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2025 को पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि ग्राम कुण्डालिया के शमशान तक आने जाने का 70 वर्ष पुराना रास्ता श्री सतीश कुमार व श्री अंजनी कुमार पि0 नन्दलाल ब्राहमण निवासी राताबरडा जावटीकलां द्वारा बन्द कर दिये जाने से ग्रामवासियों को सुखाचार से वंचित कर दिया है, इसलिए उक्त पुराना रास्ता बहाल किया जावे। तहसीलदार बून्दी से प्राप्त मूल पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी नमाना एवं भू.अ.निरीक्षक वृत नमाना का मौका पर्चा मय नजरी नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया, जिसमें अंकित है कि ग्राम कुण्डालिया की विवादित आराजी खसरा नं. 88, 1369/87 एवं 1418/87 किता 3 कुल रकबा 2.7115 हैक्टेयर खातेदार अंजनीकुमार, सतीशकुमार पि0 नन्दलाल जाति ब्राहमण को सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी के इजराय सं. 03/2023 बउनवान नन्दलाल बनाम छोटूलाल 296/दावा/2021 में अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2023 के संदर्भ में दिनांक 09.04.2025 को कब्जा उक्त खातेदारान को भौतिक रूप से संभलाया गया था। इसके साथ ही खातेदारान द्वारा खसरा नं. 1369/87 व 1418/87 में से होकर 40 से 50 वर्षो से ग्रामीणों द्वारा शमशान पर आने जाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे रास्ते को तार लगाकर बन्द करके अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामवासियान द्वारा निजी सुखाचार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उक्त रास्ता बहाली हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 251 के तहत प्रकरण 1/2025 दर्ज रजिस्टर किया गया। सभी हितबद्ध पक्षकारान की सुनाई की जाकर उक्त रास्ता ग्रामीणों के लिए शमशान हेतु समीपस्थ होने एवं मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण उक्त अवरूद्ध पुराने रास्ते को बहाल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को आदेश पारित किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

यहां अपीलांटस की आपत्ति है कि शमशान हेतु आने जाने के लिए मौके पर सिवायचक भूमि में से होकर रास्ता निकाला जा सकता है किन्तु सिवायचक भूमि ख.सं. 1389/123 एवं 83 व 81 की भूमि पर ग्रामवासियों का अतिक्रमण होने के कारण वे अपीलांटस के खाते की भूमि में से रास्ता निकलवाना चाहते है, जो उचित नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से फर्द मौका दिनांक 04.06.2025 तैयार किया गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे। हस्तगत प्रकरण नवीन रास्ता कायम करने के संबंध में नहीं होकर पुराने प्रचलित अवरूद्ध किये गये रास्ते को बहाल किये जाने से संबंधित है। ऐसे में अपीलांटस की यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

25

यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 251 भू–धारक के विद्यमान मार्ग के अधिकार या अन्य सुखाचार में डाले गये विघ्न को दूर करने के लिए सरल एवं संक्षिप्त उपचार प्रदान करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई की जाकर तथा भू.अ.निरीक्षक एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर पूर्ववर्ती रास्ता शमशान हेतु आने जाने के लिए बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश ग्रामवासियों के शमशान के आने जाने के सुखाचार को सुचारू बनाये रखने के लिए न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। पुराने प्रचलित रास्ते पर तार बंदी करके किये गये अवरोध को बहाल किये जाने बाबत पारित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.06.2025 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी